## संक्षिप्त

### भाजपा पदाधिकारियों ने खेली होली

**शाहपुरा।** अमरसरवाटी क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को होली की शुभकामनाएं देकर मुख्यमंत्री के रंग लगाकर होली खेली। भाजपा जयपुर ग्रामीण प्रेस प्रवक्ता सुभाष जोशी के नेतृत्व में अजय जोशी, सुरेंद्र शर्मा, सुरेंद्र घोसल्या, राकेश घोसल्या, बाबूलाल कुमावत, छाजू लाल सैनी, महेंद्र सिंह राठौड, दिलीप सिंह राठौड़, महावीर घोसल्या, सोहनलाल बागड़ी सहित कई कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के रंग लगाकर होली की बधाई दी। कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री को खेजरोली में नगर पालिका स्वीकृत करने, शाहपुरा में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय खोलने, शाहपुरा में अटल वन के लिए विकास के लिए 13 करोड रुपए की राशि स्वीकृत करने सहित बजट में आम जन के हित के लिए की गई घोषणाओं के लिए अभिनंदन किया। इस दौरान काफी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे।

### फाग उत्सव संपन्न

**दौसा।** भारत विकास परिषद के चुनाव में संजय पीलवा को अध्यक्ष, विनोद कुमार शर्मा को सचिव और सचिन मोदी को कोषाध्यक्ष चुना गया है। परिषद का चुनाव मुक्ति बाग में होली स्नेह मिलन व फाग उत्सव के दौरान प्रांतीय प्रकल्प प्रभारी आदित्य भारद्वाज की देखरेख में संपन्न हुआ। इस अवसर पर परिषद में 14 नए सदस्यों को शामिल किया गया। कार्यक्रम में फूलों की होली, धमाल और फाग उत्सव का आयोजन हुआ। परिषद सचिव विनोद कुमार शर्मा ने प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, जबकि कोषाध्यक्ष श्याम भेडोली ने वित्तीय वर्ष का लेखा-जोखा पेश किया। अध्यक्ष संजय पीलवा ने बताया कि परिषद द्वारा समाज सेवा के विभिन्न कार्य किए गए, जिनमें अंधता निवारण शिविर में दौसा को प्रांत स्तर पर सम्मान मिला। इस अवसर पर विशेष उपलब्धियों के लिए राम धौंकरिया, अमित अग्रवाल, मुकेश डांगरवाड़ा, रौनक महेश्वरा और अजय खंडेलवाल को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का समापन सपरिवार सहभोज के साथ हुआ।

### पोस्टर किया विमोचन

**श्रीमाधोपुर ।** विश्व हिंदू परिषद राम जन्मोत्सव समिति के संयुक्त तत्वाधान भगवा रैली का आयोजन होगा। आयोजन समिति के अजय मिश्रा लोगों ने बताया कि 29 मार्च को गणेश मंदिर से होगी प्रारंभ विशाल भगवा वाहन रैली निकाली जाएगी । 6 अप्रैल को रघुनाथ मंदिर से साय 3 बजे विशाल शोभायात्रा का आयोजन होगा जगह जगह पर दुर्गा। वाहिनी की बहनों द्वारा प्रदर्शन किया जाएगा। क्षेत्र के संत महात्मा कार्यक्रम में शामिल होंगे। और जीवंत झाकियां भी निकली जाएगी पोस्टर विमोचन के दौरान विश्व हिंदू परिषद संरक्षक राम रतन सोनी, प्रखंड अध्यक्ष अजय मिश्रा, उपाध्यक्ष एडवोकेट अमित ठटेरा , बजरंग दल जिला सहसंयोजक रवि प्रजापत , विहिप जिला उपाध्यक्ष मुकेश शर्मा श्रीमाधोपुर, सतीश वर्मा ,प्रतीक कुमावत ,सुभाष चेहरा सहित कार्यकर्ता मौजूद थे।

### ऑपरेशन करवा कर लौटे 5 मरीजों का किया सम्मान

**श्रीमाधोपुर।** लायंस क्लब श्रीमाधोपुर द्वारा राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र श्रीमाधोपुर में आयोजित 45 वें नि:शुल्क मोतियाबिंद एवं लैंश प्रत्यारोपण शिविर मे चयनित 5 मरीजों के ऑपरेशन के बाद जयपुर से वापस लौटने पर लायंस क्लब ने उनका हालचाल जाना और स्वागत में सभी को शॉल ओढ़ाकर उनका स्वागत किया । इस कार्य के लिए विशेष सहयोग दुर्गा प्रसाद गोयल और ललिता गोयल, ऊंझा, गुजरात वालों का रहा। इस मौके पर क्लब के सागरमल हलवाई, ललित कुमार सैनी और कुसुम सैनी उपस्थित रहे।

नम्बर मिलाइए
9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

# कोटपूतली-बहरोड़ जिले ने किसान पंजीयन में मारी बाजी

- फॉर्मर रजिस्ट्री शिविरों में अब तक 01 लाख 13 हजार 112 किसानों का पंजीकरण

**कोटपूतली।** मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार हर एक किसान के कल्याण के लिये प्रतिबद्ध है। प्रदेश के किसानों का डिजिटल डाटाबेस तैयार हो सके इस हेतु राज्य में एग्रीस्टेक योजनांतर्गत फॉर्मर रजिस्ट्री शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। एग्रीस्टेक योजना के अंतर्गत आयोजित शिविरों में कोटपूतली-बहरोड़ जिले ने शानदार प्रदर्शन करते हुये पहला स्थान प्राप्त किया है। हाल ही में योजना की प्रगति रिपोर्ट के अनुसार जिले में अब तक 01 लाख 13 हजार 112 किसानों का पंजीयन किया जा चुका है। जिससे जिले की कुल उपलब्धि दर 75.54 प्रतिशत हो गई है। इस उपलब्धि के साथ जिले ने कृषि क्षेत्र में डिजिटल पंजीयन को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है।

सरकार द्वारा संचालित एग्रीस्टेक योजना का उद्देश्य किसानों को डिजिटल रूप से पंजीकृत कर उन्हें कृषि योजनाओं, अनुदानों, बीमा व अन्य सरकारी लाभों से जोडना है। इस योजना के तहत किसानों का डिजिटल डाटाबेस तैयार किया जा रहा है, जिससे उन्हें त्वरित और पारदर्शी लाभ सुनिश्चित हो सके। जिला कलक्टर कल्पना अग्रवाल ने बताया कि राज्य में चलाए गए किसान रजिस्ट्रेशन शिविरों में कोटपूतली-बहरोड़ जिले के किसानों ने बढ़-चढकर भाग लिया। 12 मार्च तक जिले में पंजीकृत किसानों की संख्या अन्य जिलों की तुलना में सर्वाधिक रही, जिससे यह राजस्थान में पहले स्थान पर रहा।

प्रदेश के अन्य जिलों की तुलना में कोटपूतली-बहरोड़ ने सबसे अधिक 75.54 प्रतिशत की उपलब्धि दर हांसिल की है। जिले में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत चिन्हित कुल 1,49,737 किसानों में से एग्रीस्टेक योजना के तहत 1,13,112 किसानों का पंजीयन किया जा चुका है। 12 मार्च को ही 4,012 किसानों का पंजीयन पूरा किया गया है। इस उपलब्धि से जिले ने बड़े जिलों को भी पीछे छोड़ दिया है, जिसमें बाड़मेर (74.84 प्रतिशत) और झालावाड़ (74.29 प्रतिशत) क्रमशरू दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे।

जिला कलक्टर ने कहा कि सभी के सम्मिलित प्रयासों से जिला किसान रजिस्ट्रेशन में प्रथम आया है। उन्होंने कहा कि सभी संबंधित विभागों द्वारा आवश्यक प्रचार-प्रसार कर यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि हर पात्र किसान योजना से लाभान्वित हो। उन्होंने बताया कि जिले की इस सफलता में स्थानीय प्रशासन, पंचायती राज विभाग, कृषि विभाग एवं किसान संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। उन्होंने अधिकारियों को प्रत्येक पात्र किसानों का पंजीयन करते हुए प्रगति निरंतर बनाए रखने के भी निर्देश दिए है। उल्लेखनीय है कि जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर सहित अन्य अधिकारियों द्वारा सतत मॉनिटरिंग और निरीक्षण द्वारा भी शिविरों में व्यवस्था का अवलोकन किया जा रहा है ताकि योजना का लाभ हर पात्र तक पहुंचे और उन्हें राहत मिलें। साथ ही बैठक लेकर समय-समय पर आवश्यक दिशा निर्देश भी प्रदान किए जा रहे है।

इन शिविरों में कृषि विभाग, पशुपालन विभाग सहित अन्य विभागों की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र किसानों को दिया गया एवं विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी प्रदान की गई। डिजिटल और ऑन-स्पॉट रजिस्ट्रेशन की सुविधा देकर किसानों का पंजीयन किया गया। किसानों में जागरूकता फैलाने के लिए विभिन्न माध्यमों से व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। स्थानीय प्रशासन और कृषि विभाग की टीमों ने गांव-गांव जाकर किसानों को रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी और उन्हें ऑनलाईन पंजीयन करने के लिए प्रेरित किया। जिला कलक्टर के निर्देश पर आवश्यक स्थानों पर पूरक शिविरों का आयोजन कर पंजीकरण से वंचित रहे किसानों का पंजीयन भी सुनिश्चित किया गया। एग्रीस्टेक योजनांतर्गत फॉर्मर रजिस्ट्रेशन शिविरों का आयोजन ग्राम पंचायतवार 31 मार्च तक किया जायेगा।

## कार्यशाला आयोजित

**कोटपूतली।** श्री अन्न की खेती कर उत्पादन, उत्पादकता बढ़ाने एवं स्वस्थ रहने हेतु किसानों को जागरुक करने एवं राज्य को मोटे अनाज (श्री अन्न) की खेती कर आत्मनिर्भर बनाने व प्रचार-प्रसार करने के उददेश्य से कृषि विभाग द्वारा कृषि विज्ञान केन्द्र, गोनेड़ा में खाद्य एवं पोषण सुरक्षा पौष्टिक अनाज योजनान्तर्गत जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। संयुक्त निदेशक कृषि महेंद्र कुमार जैन ने बताया कि कार्यशाला में मोटे अनाज (मिलेटस) श्श्री अन्न श की खेती कर उत्पादन, उत्पादकता बढ़ाने एवं स्वस्थ रहने हेतु किसानों को जागरुक किये जाने एवं राज्य को मोटे अनाज (श्री अन्न) में आत्मनिर्भर बनाने हेतु विभिन्न (मिलेटस) श्री अन्न यथा बाजरा, ज्वार, रागी, कांगो आदि की आधुनिक तकनीकों से खेती करने के लिये बीज, उर्वरक, कीट-व्याधि से बचाव, सुरक्षित भण्डारण, खरपतवारों के नियंत्रण की जानकारी कृषि विज्ञान केन्द्र, गोनेड़ा के डॉ. एस.एस, शेखावत, प्रधान वैज्ञानिक व उनकी टीम के आर.पी. यादव, श्रेणु गुप्ता, एस.एम. यादव द्वारा दी गई। कार्यशाला में संयुक्त निदेशक द्वारा किसानों को राज्य में पोषक अनाजों (मिलेटस) श्री अन्न के उत्पादन में वृद्धि, मूल्य संवर्धन, मूल्य संबंधित उत्पादों के घरेलू उपभोग में वृद्धि आदि के संबंध में जागरूकता लाने के उद्देश्य पर जानकारी दी गई।

## किशनगढ़बास में पुलिस थाने में खेली होली

**किशनगढ़ बास।** पुलिस थाना परिसर में शनिवार को पुलिस अधिकारियों व जवानों ने सामूहिक होली खेली। एडीसनल एसपी राजेंद्र निर्वाणा थाना अधिकारी जितेंद्र सिंह शेखावत ने पुलिस जवानों को रंग लगाकर होली की बधाई दी। इस दौरान व्यापार मंडल के प्रतिनिधि व गणमान्य लोग भी पुलिस की होली में शामिल हुए। महावर समाज के मीडिया प्रभारी रामेश्वर गप्ता ने बताया महावर नवयुवक सेवा समिति,महावर वैश्य सेवा समिति व महावर वैश्य महिला सेवा समिति के सौजन्य से महावर भवन में 29वां होली मिलन मनाया गया।

**सूचना**

कार नम्बर RJ 14 CH 5043 निहाल माथुर के नाम से है, जिनके कोई वारिस नहीं है। उक्त गाडी उनके जानकार घनश्याम लाल के नाम ट्रांसफर कर रहे है। कोई वारिस या उत्तराधिकारी हो तो 21 दिन में R.T.O. IInd विद्याधर नगर में सूचित करें।

**इश्तिहार पत्र**

मैं, मेरे अभिभाष्य रमेश हाड़िया पुत्र श्री ग्यारसीलाल, निवासी वार्ड नं. 17, प्रागपुरा, जिला कोटपूतली, बहरोड़ की ओर से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि:-

1. मैं, मेरे अभिभाष्य की ओर से सर्वसाधारण को सूचित करता हूं कि मेरे अभिभाष्य ने अपनी पुत्री अनामिका उर्फ ज्योति को बड़े लाड़ दुलार से पालन पोषण किया है और मेरे अभिभाष्य ने अपनी पुत्री को बी.ए., बी. एड. तक पढ़ाई कराई है जिसमें बहुत पैसा खर्च हुआ है और मेरे अभिभाष्य अपनी पुत्री को अच्छे से घर में बड़ी खुशी से शादी करना चाहता था क्योंकि वह मेरे अभिभाष्य की इकलौती पुत्री थी और प्रतियोगी परीक्षाओ की तैयारी कर रही थी लेकिन मेरे अभिभाष्य की पुत्री का मेरे अभिभाष्य से वर्तमान में अच्छा व्यवहार नही है और क्रूरतापूर्ण व्यवहार करती है जिससे व्यथित होकर मेरा अभिभाष्य अपनी पुत्री अनामिका उर्फ ज्योति का अपनी चल व अचल सम्पत्ति से बेदखल कर अपने पुत्र गौरव कुमार उर्फ योगेश को देना चाहता है जो कि मेरे अभिभाष्य की चल अचल सम्पत्ति निम्न है :-

1. एक प्लाट 200 वर्गगज, रिहायशी मकान 50x60, दो दुकानो की जमीन 10x20, आदि। स्व अर्जित प्रोपर्टी जिसमें स्कूल चला रखी है स्कूल का नाम कैलाश विद्यापीठ प्रागपुरा है। जिसमे मेरी पुत्री का कोई हक व अधिकार नही है। सर्व साधारण सूचित रहे। भविष्य मे उक्त सम्पत्ति का अकेला वारिस मेरा पुत्र ही रहेगा।

सर्व साधारण सूचित रहे।

जरीये अधिवक्ता- होशियार सिंह आर्य, 9413562348
अविनाश आर्य, 9636942102

**हैतुक दर्शित करने के लिए सूचना**
(साधारण प्रारूप)
व्यवहार प्रक्रिया संहिता पहली अनुसूची संख्यांक 4
न्यायालय न्यायालय पारिवारिक न्यायालय क्रम-5 स्थान जयपुर महानगर
मनोज कुमार सैन विरूद्ध पूनम कुमारी
वाद/प्रार्थना पत्र 260/25 C.S.A. 1240/23

प्रार्थना पत्र संख्या 13 (A) H.M.A. सन् नाम पूनम कुमार सैन पत्नी मनोज कुमार सैन पुत्री स्व.महेश कुमार सैन पता 1277 रावल जी का बाजार, जय सियाराम धर्मशाला के सामने चौकडी गंगापोल जयपुर

उक्त..... ने इस न्यायालय में यह आवेदन किया है कि.....

अतः आपको चेतावनी दी जाती है कि आप आवेदन के विरूद्ध हैतुक दर्शित करने के लिए दि.28 माह 03 सन् 2025 को 10.30 ए.एम. पूर्वान्ह में स्वयं या अपने प्लीडर द्वार जिसे सम्यक रूप से अनुदेश किया गया हो, उपसंजात हो। यदि आप ऐसा करने में असफल रहेंगे तो उक्त आदेश की सुनवाई और उसका निपटारा एक पक्षीय रूप से किया जाएगा। यह आज ता. 15 माह 02 सन् 2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

वरिष्ठ मुंसरिम
मोहर अदालत
पारिवारिक न्यायालय क्रम-5
जयपुर महानगर प्रथम

**अपील की सुनवाई के लिये नियत दिन की प्रत्यर्थी की सूचना**
(आदेश 41 नियम 14)
नाम न्यायालय अपर जिला एवम सत्र न्यायाधीश क्रम 6 जयपुर महानगर प्रथम प्रथम जयपुर
बाबूलाल सैनी विरूद्ध बिरदीचन्द रैगर

नियमित दीवानी अपील सं. 22 / सन 2025
सिविल न्यायाधीश (दक्षिण) जयपुर महानगर द्वितीय के न्यायालय की तारीख 2.1.2025 को पारित निर्णय व डिक्री का अपील 2/1 श्रीमती बबीता सैनी पत्नी स्व.रमेश सैनी 2/2 कुमारी सोनिया पुत्री स्व0 श्री रमेश सैनी नाबालिग 2/3 कुमारी कोमल पुत्री स्व0 रमेश सैनी नाबालिगान जरिये कुदरती माता व संरक्षिका श्रीमती बबिता सैनी निवासीयान हाल प्रेम नगर ।। प्लाट नंबर 61 गुर्जर की थडी न्यू सांगानेर रोड जयपुर।

आपको सूचना दी जाती है कि इस मामले मे सिविल न्यायाधीश व न्यायिक मजि0 (दक्षिण) जयपुर महानगर द्वितीय की अपील अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत उपस्थित की गई है और न्यायालय में रजिस्टर कर ली गई है और इस अपील की सुनवाई के लिये इस न्यायालय द्वारा तारीख 17 माह 03 सन 2025 नियत की गई है।

यदि इस अपील मे आपकी और से आप स्यं या आपके प्लीडर या आपके लिये कार्य करे के लिये विधिक प्राधिकृत कोई व्यक्ति उपसंजात नही होगा तो यह आपकी अनुपस्थिति मे गुनी और विनिश्चित की जावेगी। यह आज तारीख 10 माह 03 सन 2025 को मेरे हस्ताक्षर के और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

आज्ञा से-वरिष्ठ मुंसरिम
न्यायालय अपर जिला एवं सैंशन न्यायालय
मोहर क्रम-6 जयपुर महानगर-प्रथम

**NAME CHANGE**

I have changed my name from Reeta Sethi to Rita Sethi w/o Praveen Kumar Sethi for all purpose in future. R/o A-540 Vidyut Nagar Ajmer Road Jaipur- 302021

I have changed my name from Shamendra Kumar Mathur to Shamendra Mathur, for all future purposes. Both names are mine.Now I would be called Shamendra Mathur. 28-A Shakuntalam Yojana Jagatpura Jaipur.

I service no 14583385X Ex Hav Gokul singh Shekhawat S/O late Megha singh Shekhawat R/O village post gothara tehsil nawalgarh district jhunjhunu that have changed my daughter name from KANCHAN KANWAR is wrong entered in service record To KANCHAN KANWAR SHEKHAWAT vide affidavit dated 11 march 2025 before district notary Jaipur

I army no 14613583A Ex NK (TS) Mulchand maretha S/O Mangal ram maretha R/O village post Kali pahadi tehsil Dausa that have changed my sons name from SATISH KUMAR ( DOB 23/5/1998) To SATISH KUMAR MARETHA ( DOB 23/5/1999) & from RAM KISAN To RAM KISHAN Vide affidavit dated 12 march 2025 before district notary Jaipur

I, Pooja Singh of Spouse as per change of Next of Kin Record/Service Document. Spouse of No.15430122Y Rank Hav (NA) Name Azad Singh R/o Vill. B.Jhitkahi, Dist. Muzaffarpur, Bihar-843105 have changed my name from Pooja Singh to Pooja Kumari vide Affidavit dated 13.03.2025 before district court jaipur.

**नगर निगम जयपुर, हैरिटेज**
(पुराना पुलिस मुख्यालय, हवामहल के पास)
क्रमांक-एफ13()उपा.लैण्ड/ननिज./2025/2356
**सार्वजनिक सूचना** दिनांक-5/03/25

मूल भूखण्ड सं. डी-54, नाहरी का नाका पूर्व, जयपुर का पट्टा श्री कमला प्रसाद उपाध्याय पुत्र श्री भगवती प्रसाद उपाध्याय को दिनांक 20.08.1990 को 200 व.ग. का पट्टा जारी किया गया था। श्रीमती आर्दश शर्मा पत्नि, श्री परम पावन पुत्र, श्री विवेक उपाध्याय पुत्रान श्री कमला प्रसाद उपाध्याय द्वारा पारिवारिक सजरे के आधार पर व शपथ पत्र प्रस्तुत कर का एवं अन्य दस्तावेजो के आधार पर आवेदन प्रस्तुत कर 200 व. ग. नाम हस्तानान्तरण हेतु आवेदन किया गया है। इस बावत किसी भी व्यक्ति, संस्था, फर्म, कम्पनी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय (उपायुक्त लैण्ड शाखा) में प्रस्तुत करें, अन्यथा निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद, नियमानुसार नाम हस्तान्तरण जारी किये जाने की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी।

उपायुक्त (लैण्ड) नगर निगम जयपुर, हैरिटेज

**कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर**
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 23 के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर 44/2023
(नाम, वर्णन तथा निवास स्थान)

चूंकि प्रार्थी श्री हनुमान प्रसाद ने प्रन्यास सदगुरू श्रीदातार जनकल्याण चेरिटेबल ट्रस्ट, 276, वसुन्धरा कॉलोनी, टोंक रोड, जयपुर जिसका पंजीयन क्रमांक 58 जयपुर 2007 है के सम्बन्ध मे राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 23 के अन्तर्गत प्रन्यास के प्रन्यासियों के स्वर्गवास तथा त्याग पत्र देने के कारण उनके नाम प्रन्यास रिकार्ड से हटाने तथा नवीन प्रन्यासियों की नियुक्ति कर उनके नाम कार्यालय प्रन्यास रिकार्ड में दर्ज अभिलेख कराने का निवेदन कर जांच किये जाने के लिए प्रपत्र-8 में आवेदन-पत्र दिया है।

अतएवं धारा 23 में प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास में हुवे परिवर्तन / संशोधन जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से तीस दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करे।

और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां प्रस्तुत नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।

आज दिनांक 12.3.25 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।

आइन्दा तारीख पेशी 17.4.25

मोहर अदालत
सहायक आयुक्त (प्रथम)
देवस्थान विभाग, जयपुर

**कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर**
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 23 के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर 14/2025
(नाम, वर्णन तथा निवास स्थान)

चूंकि श्री सन्तोष अग्रवाल ने पंजीकृत प्रन्यास श्री गायत्री चैरिटेबल ट्रस्ट सी-76 तिलक नगर, जयपुर जिसका पंजीयन क्रमांक 02 जयपुर 2006 है के सम्बन्ध में राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 23 के अन्तर्गत प्रन्यास की बैठक में प्रस्ताव पारित कर प्रन्यास के प्रन्यासी श्री बिग्रेडियर रविन्द्र कुमार श्री प्रदीप कुमार गोयल, श्री अशोक कुमार गर्ग, श्री सुजीत कुमार दास व श्री सुभाष आर्य द्वारा प्रन्यासी पद से त्याग देने के कारण उनके स्थान प्रन्यास रिकार्ड से हटाने तथा उनके स्थान प्रन्यास रिकार्ड से हटाने तथा उनके स्थान पर श्री सुमीर कुमार दास डा. श्याम सुन्दर अय्यैर, श्री कृष्ण कुमार शर्मा, श्री स्यनिल अग्रवाल, श्रीमती रिया अग्रवाल, व श्री रमेशचन्द्र साबू को मनोनीत कर उनके नाम प्रन्यास रिकार्ड में दर्ज अभिलेख किये जाने का निवेदन कर जांच किये जाने के लिए प्रपत्र-8 में आवेदन-पत्र दिया है।

अतएवं धारा 23 में प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास में हुवे परिवर्तन / संशोधन जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से तीस दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करे।

और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां प्रस्तुत नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।

आज दिनांक 19.02.25 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।

आइन्दा तारीख पेशी 25.3.25

मोहर अदालत
सहायक आयुक्त (प्रथम)
देवस्थान विभाग, जयपुर

**न्यायालय उपजिला कलेक्टर गंगापुर सिटी**
आम गुर्जर समाज गंगापुर सिटी जरिये
कमल लाल गुर्जर वगैहराह ब ना म पून्या वगैहरा
नोटिस हर खास आम (तहत आदेश 1 नियम 8 जा.दी.)

हर खास आम सूचित किया जाता है कि आम गुर्जर समाज गंगापुर सिटी जरिये कमल लाल गुर्जर पुत्र श्री रामसहाय जाति गुर्जर निवासी खानपुर बडोदा, अध्यक्ष 12 गांव गुर्जर समाज एवम् केदारलाल गुर्जर पुत्र स्वर्गीय श्री मांगीलाल जाति गुर्जर निवासी कल्याणजी गेट, गुर्जर मोहल्ला गंगापुर सिटी अध्यक्ष आम चौरासी गुर्जर समाज गंगापुर सिटी ने एकदावा बावत घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का प्रतिवादीगण पून्या वगैहरा के विरूद्ध इस आशय का प्रस्तुत किया हैं कि घोषणा इस आशय की प्रदान की जावे कि गंगापुर सिटी तहसील गंगापुर सिटी स्थित भूमि खसरा नम्बर 276 रकवा 0.87 हेक्टर आम गुर्जर समाज गंगापुर सिटी की सार्वजनिक उपयोग उपभोग की भूमि है तथा यह भूमि राजस्व रिकार्ड मे दर्ज खातेदारान की निजी भूमि नही है तथा यह भूमि राजस्व रिकार्ड मे से प्रतिवादीगण का नाम हजफ कर आम गुर्जर समाज गंगापुर सिटी के नाम दर्ज किए जाने के आदेश फरमाये एंव प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे ग्राम गंगापुर सिटी स्थित भूमि खसरा नम्बर 276 रकवा 0.87 हेक्टर को अपने निजी उपयोग मे नही ले तथा इस भूमि मे कोई प्लाटिंग या निर्माण कार्य नही करे तथा भूमि को अन्य व्यक्तियो को रहन, विक्रय या अन्य किसी प्रकार से अन्तरित नही करे तथा भूमि मे गुर्जर समाज की आम सभा करने या अन्य सामाजिक कार्य करने में बाधा उत्पन्न नही करे तथा भूमि मे कल्याण जी का मेला लगने देने में बाधा उत्पन्न नही करे एंव भूमि को अपने निजी नाम राजस्व रिकार्ड में नही लगवाये एंव कोई नामान्तरकरण अपने नाम नही खुलवाये एंव उक्त भूमि के सम्बन्ध मे गुर्जर समाज गंगापुर सिटी के सार्वजनिक हित मे नियमानुसार ट्रस्ट का गठन कर ट्रस्ट पंजीकृत करायेा अतः जो भी हर खास व आम इस दावे मे अपना पक्ष रखना चाहे दिनांक 17.3.25 को समय 10.30 AM बजे न्यायालय मे स्वंय अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित हो सकता है।

"यह आज तारीख 11-3-25 को मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी किया गया। आदेशानुसार

आज्ञा से : न्यायालय उपजिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी ( स.मा. )

**कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.) आमेर, जिला जयपुर**
क्रमांक-भू.अ./2025/842 दिनांक-5.3.25
**आम सूचना का नोटिस**

हर आम खास को सूचित किया जाता है कि उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रार्थर्थी श्री अशोका तंवर पुत्र स्व0 बाबूलाल तंवर जाति बलाई निवासी एफ 162, पंचशील मार्ग सी स्कीम जिला जयपुर द्वारा एक प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि स्व0 सुकन्या पत्नि अशोका तंवर पुत्री स्व0 शिवप्रकाश चन्द्र जाति बंगाली निवासी एफ 162, पंचशील मार्ग सी स्कीम जिला जयपुर द्वारा अपने जीवनकाल में एक वसीयतनामा अनरजिस्टर्ड अपने पति प्रार्थी अशोका तंवर पुत्र स्व0 बाबूलाल तंवर जाति बलाई निवासी एफ 162, पंचशील मार्ग सी स्कीम जिला जयपुर के पक्ष में दिनांक 23.05.2024 को नोटेरी पब्लिक के यहां प्रमाणित करवाया गया है। वसीयतकर्ता की दिनांक 04.10.2024 को मृत्यु हो चुकी है, ग्राम आमेर प0म0 आमेर तहसील आमेर की कृषि भूमि मृतक खातेदार स्व0 सुकन्या पत्नि अशोका तंवर पुत्री स्व0 शिवप्रकाशचन्द्र के नाम राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी के खाता संख्या 1827 में ख0न0 8345, 8349 से 8353, 8359/9678, 8360/9679, 8361, 8362/9884, 8363 से 8367, 8372, 8375, 8376, 8379, 8380 किता 20 कुल रकबा 3.10 हेक्टे0 भूमि में हिस्सा 1/6 एवं खाता संख्या 1832 में ख0न0 8367/1, 8373, 8375/9152 किता 03 कुल रकबा 0.28 हेक्टे0 भूमि में हिस्सा 1/6 खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड है। उपरोक्त भूमि का नामान्तकरण प्रार्थी श्री अशोका तंवर पुत्र स्व0 बाबूलाल तंवर जाति बलाई के पक्ष में खोला जाने बावत प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया। प्रकरण विवादित होने के कारण प्रकरण धारा 135 (2) एलआर एक्ट 1956 के तहत दर्ज किया जाकर यह पत्रावली खोली गई। प्रकरण में यदि किसी को कोई उज्ज-एतराज, अथवा आपत्ति हो तो, प्रकरण में नियत आगामी तारीख पेशी 17/3/2025 को न्यायालय हाजा में अपना पक्ष प्रस्तुत करें, अन्यथा प्रकरण का एकतरफा निस्तारण कर दिया जावेगा। सूचित रहे।

यह नोटिस आज दिनांक 5/3/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुद्रा से जारी किया गया।

तहसीलदार (भू.अ.), तहसील आमेर (जयपुर)

## दो दर्जन हमलावरों ने किया होटल पर हमला

- गल्ले से निकाली 40 हजार रूपयों की नकदी, सीसीटीवी फुटेज में वारदात कैद

**कोटपूतली।** दिल्ली-जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर निकटवर्ती ग्राम कंवरपुरा स्थित एक होटल पर धुलण्डी के दिन करीब दो दर्जन नकाबपोश बदमाशों ने हमला कर दिया। इस दौरान हमलावरों ने ना केवल लाखों रूपयों के सामान की तोडफोड़ कर डाली, बल्कि होटल के गल्ले से 40 हजार रूपयों की नकदी भी निकाल कर ले गये।

यह पुरी घटना होटल के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मौके पर पहुँची पुलिस ने मौका मुआयना भी किया। कोटपूतली एसएचओ राजेश शर्मा ने बताया कि ग्राम कंवरपुरा निवासी राजेन्द्र यादव ने बताया कि उसने राजमार्ग की सर्विस लेन पर आर्शीवाद पंजाबी ढ़ाबा कर रखा है। विगत 14 मार्च धुलण्डी की दोपहर करीब 01.30 बजे होटल की पार्किंग में दो युवक पृथ्वी व सचिन समेत 5-7 युवक बैठ कर शराब पी रहे थे। जिन्हें प्रार्थी के लडके विकास ने शराब पीने से मना किया तो उक्त युवक उसके साथ मारपीट करने लगे। जिसकी आवाज सुनकर होटल के कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर बीच बचाव करवाया तो उक्त युवक अपनी गाड़ी में बैठ गये एवं उसे स्टार्ट कर गाड़ी को तेजी से होटल कर्मचारी पर चढ़ाने का प्रयास किया। जिस पर कर्मचारी ने बड़ी मुश्किल से भाग कर अपनी जान बचाई। जिसके बाद वे मौके से फरार हो गये। इसके करीब एक घण्टे बाद तीन गाडियों में उक्त युवक पृथ्वी व सचिन 15-20 नकाबपोश बदमाशों के साथ हाथों में लाठी, सरिये व डण्डे आदि लेकर पहुँचे एवं गालियां बकते हुये होटल के फर्नीचर, शीशे, कम्प्यूटर, एलईडी समेत अन्य सामान को तोड़ दिया। यही नहीं गल्ले से करीब 40 हजार रूपयों की नकदी निकाल कर ले गये। वारदात में करीब 05 लाख रूपयों का नुकसान हुआ है। यह पुरा घटनाक्रम सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गया। घटना को होटल के कर्मचारियों समेत अन्य राहगीरों ने भी देखा।

## सुरेश बादलीवाल का नागरिक अभिनंदन आज

**पावटा।** स्वास्थ्य शासन एवं नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा, जयपुर ग्रामीण सांसद, विराटनगर विधानसभा क्षेत्रीय विधायक धनकड, भाजपा जयपुर जिला उत्तर देहात जिलाध्यक्ष सुरेश बादलीवाल का बजट 2025-26 में विराटनगर नगरपालिका क्षेत्र को सीवरेज, उपजिला अस्पताल, आधुनिक बस स्टैंड की घोषणा के उपल